जन–सुनवाई कार्यवाही विवरण

श्री कृष्णानंद सनाढ्य, खनन पट्टा संख्या 25/2007 की प्रस्तावित सेण्ड स्टोन खनन परियोजना, खनन क्षेत्र 2.5566 हेक्टेयर (1.62 हेक्टेयर (वर्तमान) + 0.9366 हेक्टेयर विस्तार), प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 3,85,318 TPA (ROM) निकट ग्राम–डाबी, तहसील–तालेड़ा, जिला–बून्दी (राज.) कुल कलस्टर क्षेत्रफल–51.9127 हेक्टेयर खनन परियोजना से सम्बन्धित प्रस्तावित सेण्ड स्टोन खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं समय–समय पर संशोधित अधिसूचनाओं के प्रावधानों के तहत पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जन सुनवाई दिनांक 29-04-2026 को प्रातः 11:00 बजे स्थान भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र, डाबी, तहसील एवं पंचायत समिति–तालेड़ा, जिला–बून्दी का कार्यवाही विवरणः–

वन, पर्यावरण, एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं समय–समय पर संशोधित अधिसूचनाओं के प्रावधानों की अनुपालना में कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बूंदी के पत्र क्रमांकः– प.12–12( )राजस्व/2026/1876-84 दिनांक 18-03-2026 (संलग्नक–अ) के अनुक्रम में दिनांक 29-04-2026 को प्रातः 11:00 बजे स्थान भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र डाबी, तहसील एवं पंचायत समिति–तालेड़ा, जिला–बून्दी (राजस्थान) में श्री कृष्णानंद सनाढ्य, खनन पट्टा संख्या 25/2007, की प्रस्तावित सेण्ड स्टोन खनन परियोजना, खनन क्षेत्र 2.5566 हेक्टेयर (1.62 हेक्टेयर (वर्तमान) + 0.9366 हेक्टेयर विस्तार), प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 3,85,318 TPA (ROM) निकट ग्राम–डाबी, तहसील–तालेड़ा, जिला–बून्दी (राज.) कुल कलस्टर क्षेत्रफल–51.9127 हेक्टेयर से सम्बन्धित प्रस्तावित सेण्ड स्टोन खनन परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति हेतु जनसुनवाई उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा, जिला–बूंदी (राजस्थान) की अध्यक्षता में आयोजित की गयी।

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जनसुनवाई निम्न अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित की गयीः–

1. श्री ऋतुराज शर्मा, उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा, जिला–बूंदी।
2. श्रीमती योग्यता सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्ड़ल, बून्दी।

जनसुनवाई में उपस्थित अधिकारीगण, जनप्रतिनिधि एवं क्षेत्र के ग्रामवासी व अन्य का उपस्थिति–पत्र मय हस्ताक्षर संलग्न है (संलग्नक–ब)। उक्त जनसुनवाई के लिए नियमानुसार राष्ट्रीय समाचार पत्र "द इण्डियन एक्सप्रेस" में दिनांक 26.03.2026 और स्थानीय समाचार पत्र "जननायक" में दिनांक 26.03.2026 को आमसूचना निर्धारित

योग्यता
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बून्दी (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी (राज०)

जनसुनवाई से 30 दिन पूर्व प्रकाशित की गई थी, समाचार पत्रों की फोटो प्रतियाँ संलग्न है (संलग्नक–स)। जनसुनवाई की विडियो रिकोर्डिंग डी.वी.डी./पेन ड्राइव एवं फोटो ग्राफ संलग्न है (संलग्नक–द)।

श्री ऋतुराज शर्मा, उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा, जिला–बूंदी की अनुमति से जनसुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए श्रीमती योग्यता सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी ने उपस्थित जन–समूह को जनसुनवाई के प्रावधानों, उद्देश्यों तथा महत्व के बारे में बताते हुए उपस्थित जनसमूह से यह अपील की, कि वे परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन परियोजना के बारे में जो जानकारी दी जायेगी, उसे सुने तत्पश्चात् आपको यदि इसके बाबत कोई सुझाव या शिकायत हो तो कृपया सब से पहले अपना परिचय दे जिसमें आपका नाम तथा गाँव बतावें साथ ही सुझाव/शिकायत/आक्षेप जो भी हो लिखित अथवा मौखिक जैसा आप उचित समझे हमें दे सकते है।

उन्होने यह भी अवगत कराया कि इस जनसुनवाई के दौरान आप द्वारा जो भी सुझाव या शिकायत दी जायेगी चाहे वह लिखित हो या मौखिक हो उसे हम कलमबद्ध करेंगे तथा जनसुनवाई में होने वाली कार्यवाही की फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी भी की जा रही है। हम आपके लिखित/मौखिक रूप में प्राप्त सभी सुझाव एवं आक्षेप कलमबद्ध करके वीडियो रिकोर्डिंग मय फोटोग्राफ्स के साथ कार्यवाही विवरण (Minutes of Meeting) बनाकर नोटिफिकेशन के अनुपालना स्वरुप राज्य स्तर पर्यावरण समाद्यात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA), राजस्थान को प्रेषित करेंगे।

तत्पश्चात् क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्ड़ल, बून्दी ने परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तावित सेण्ड स्टोन खनन परियोजना के बारे में उपस्थित ग्रामवासियों/जनसमूह को अवगत कराने हेतु आमंत्रित किया।

इसके पश्चात परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार मैं. एजिज एन्वायर्नमेंट रिसर्च प्रा. लिमिटेड, नोएड़ा द्वारा प्रस्तावित सेण्ड स्टोन खनन परियोजना के बारे में उपस्थित जनसमुदाय को विस्तृत जानकारी पॉवर पॉइन्ट प्रेजेन्टेशन के माध्यम से प्रदान की गई जिसमे खनन पटटे के स्थान, खनन पट्टा क्षेत्रफल, कुल क्लस्टर क्षेत्रफल, उत्पादन क्षमता, समाचार पत्र मे छपवाई गई आम सूचना की जानकारी, क्लस्टर की जानकारी, टर्म ऑफ रेफरेन्स (TOR) की जानकारी, परियोजना का खसरा नक्शा की जानकारी, आरक्षित/संरक्षित वनक्षेत्र की जानकारी, क्लस्टर के गूगल चित्र की जानकारी, अध्ययन क्षेत्र के 10 कि.मी. बफर नक्शें की जानकारी, खनन की विधि, खनिज, संभावित खनिज भंडार, निकटतम गाँव/शहर, निकटतम रेल्वे स्टेशन, निकटतम ग्राम सड़क/जिला सड़क/राज्य राजमार्ग, निकटतम राजमार्ग, निकटतम हवाई अड्डा, निकटतम नदी/जलाशय, खनन अध्ययन क्षेत्र में जल की गुणवत्ता की वर्तमान स्थिति, जल की गुणवत्ता का प्रबंधन के उपाय, खनन अध्ययन क्षेत्र में वायु गुणवत्ता की वर्तमान स्थिति, वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपाय, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के उपाय, गारलेंड, दीवार,

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी (राज०)

योग्यता
...य अधिकारी
...स्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

वृक्षारोपण/हरित पट्टी का विकास, श्रमिकों के लिए बजट आवंटन, आदि से सम्बन्धित जानकारी प्रदान की गई।

उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा जन सुनवाई मे उपस्थित ग्रामीणो से जन सुनवाई मे उपस्थित होने की सूचना प्राप्ति के बारे मे पूछने पर परियोजना प्रस्ताव द्वारा क्षैत्र मे उक्त जनसुनवाई का प्रचार प्रसार समाचार पत्रो राष्ट्रीय समाचार पत्र ''द इण्डियन एक्सप्रेस'' व स्थानीय समाचार पत्र '''जननायक'' में तथा क्षेत्र मे माईक से मुनादि के माध्यम से जनसुनवाई के बारे मे सूचित किया जाना अवगत कराया गया जिस पर उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा भविष्य मे क्षैत्र मे प्रचलित स्थानीय समाचार पत्रो मे भी सूचना दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

जनसुनवाई के दौरान उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा किये गए पौधारोपण के सम्बन्ध में जानकारी चाही जिस पर परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि हमारे द्वारा हर साल माईन्स एसोसिएशन के माध्यम से नाला की माताजी, ग्राम–भवानीपुरा एवं गौपाल गौशाला, ग्राम पराना मे पौधारोपण किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा जनसुनवाई मे जनप्रतिनिधियो यथा सरपंच/वार्ड पंच आदि की उपस्थिति के बारे मे जानकारी चाही गई। जनप्रतिनिधियो की अनुपस्थिति पाये जाने पर परियोजना प्रस्ताव तथा क्षैत्रीय अधिकारी को भविष्य मे आयोजित होने वाली पर्यावरणीय जनसुनवाई अन्तर्गत क्षैत्र के जनप्रतिनिधिगणो की उपस्थिति हेतु सूचित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

तत्पश्चात् क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, बून्दी ने उपस्थित जनसमुदाय को अपने सुझाव/विचार/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु आमन्त्रित किया। उपस्थित जन–समुदाय द्वारा कोई सुझाव/विचार/आपत्ति/आक्षेप प्राप्त नही हुए है।

तत्पश्चात क्षेत्रीय अधिकारी महोदया ने उपस्थित सभी लोगो का धन्यवाद करते हुए जनसुनवाई की कार्यवाही समाप्त की।

उक्त जनसुनवाई के दौरान/पहले/बाद इस परियोजना से सम्बन्धित कोई लिखित सुझाव/शिकायत/आक्षेप/आपत्ति प्राप्त नही हुई।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

योग्यता
(योग्यता सिंह)
क्षैत्रिय अधिकारी,
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,बून्दी
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बून्दी (राजस्थान)

(ऋतुराज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा
जिला–बूंदी
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी (राज०)

संलग्नक – अ

कार्यालय जिला कलक्टर बून्दी

संख्या – 24

दिनाँक 18/03/2026

आदेश

क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल बून्दी के पत्र कमांक RPCB/RO BUNDI/BU-174/ 3259 date 05-03-2026 से अवगत कराया कि श्री कृष्णानन्द सनाढ्य द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर बलुआ पत्थर खनन परियोजना हेतु पर्यावरण मंजूरी हेतु सार्वजनिक सुनवाई के लिए कलस्टर प्रोजेक्ट एरिया 51.9127 हैक्टेयर, एम.एल. नम्बर 25/2007 रकबा 2.5566 हैक्टेयर प्रस्तावित क्षमता 385318 टीपीए ग्राम डाबी तहसील तालेड़ा में स्थित है, के संबंध में भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.2006 के सन्दर्भ में परियोजनाओं के लिए जनसुनवाई आवश्यक बताते हुये पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए जनसुनवाई रखने हेतु जिला कलक्टर या उनके द्वारा मनोनीत प्रतिनिधी नियुक्त करते हुये कम से कम 40 दिवस का समय (तिथि) का मार्जिन रखने व सुनवाई हेतु स्थल निर्धारित रखने हेतु निवेदन किया है।

अतः पर्यावरणीय आपत्ति/अनापत्ति बाबत जनसुनवाई करने हेतु उपखण्ड अधिकारी, तालेडा को जिला कलक्टर का प्रतिनिधि मनोनीत किया जाता है तथा साथ ही तहसील एवं पंचायत समिति तालेडा(बून्दी) के भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र,डाबी " पर दिनांक 29.04.2026 को समय प्रातः 11.00 बजें पर सुनवाई हेतु स्थान व समय निर्धारित किया जाता है।

क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल बून्दी EIA के अनुसार गजट में प्रकाशन करवाकर आपत्तियाँ प्राप्त कर जनसुनवाई का नियमानुसार प्रचार–प्रसार करने की कार्यवाही करेगें।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर,बून्दी

क्रमाँक – प.12–12( )राजस्व/2026/ 1876-84
दिनाँक 18/03/2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिला परिषद,बून्दी
2. अति० जिला कलक्टर,बून्दी
3. उपखण्ड अधिकारी,तालेडा
4. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,बून्दी
5. विकास अधिकारी,पंचायत समिति तालेडा/तहसीलदार,तालेडा
6. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत डाबी पंचायत समिति तालेडा
7. श्री कृष्णानन्द सनाढ्य निवासी 3–ए–5 तलवण्डी कोटा पिन 324005
8. आदेश पत्रावली।

जिला कलक्टर,बून्दी

भोगप्रता 18/3/26 AEE

18/03/2026 LPC

Signature valid

Digitally signed by Akshay Godara
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2026.03.18 18:57:01 IST
Reason: Approved

conversion,2022

RajKaj Ref No.: 21070717

Scanned with OKEN Scanner

संलग्नक : ब

उपस्थिति पत्रक

श्री कृष्णानंद सनाढ्य, खनन पट्टा संख्या 25/2007, खनन क्षेत्र 2.5566 हेक्टेयर (1.62 हेक्टेयर (वर्तमान) + 0.9366 हेक्टेयर विस्तार), प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 3,85,318 TPA (ROM) निकट ग्राम–डाबी, तहसील–तालेड़ा, जिला–बून्दी (राज.) खनन परियोजना हेतु आयोजित पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित जन सुनवाई दिनांक 29-04-2026 (बुधवार) को स्थान भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र, राजपुरा, तहसील एवं पंचायत समिति–तालेड़ा, जिला–बून्दी में समय प्रातः 11:00 बजे में उपस्थित अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं नागरिको का उपस्थिति पत्रकः–

क्र.स.	व्यक्ति का नाम	पता / विभाग का नाम	हस्ताक्षर
1	Sh. Rituraj Sharma, RAS	SDM, TALERA	[signature]
2	Yogyata Singh	RO, RSPCB, Bundi	योग्यता
3	RAKESH Meena	RSPCB, Bundi	[signature]
4	Kaynat Aslam	Aggies environmental Research Pvt. Ltd., Udaipur	[signature]
5	[illegible]	मु.-पो. डाबी तह. तालेड़ा बूंदी	[signature]
6	Krishnanand Sanadhya	E-238 Shrinath Puram Kota	[signature]
7	ओम प्रकाश [illegible]	ग्राम डाबी बैंक ऑफ बड़ौदा के पास	ओम प्रकाश [illegible]
8	देवी सिंह जी [illegible]	[illegible]	[signature]
9	[illegible]	डाबी	[signature]
10			
11	[illegible] पोरूलाल	डाबी	[thumb impression]
12	किशोर	डाबी	[thumb impression]
13			
14	नन्द लाल राठौर	डाबी	नन्द लाल

Scanned with OKEN Scanner

जन सुनवाई उपस्थिति पत्रक – श्री कृष्णानंद सनाढ्य, खनन पट्टा सं. 25/2007 (1.62 हेक्टेयर (वर्तमान) + 0.9366 हेक्टेयर विस्तार) निकट ग्राम–डाबी, तहसील–तालेड़ा, जिला–बूंदी (राज.), जन सुनवाई दिनांक 29-04-2026 (बुधवार), समय प्रातः 11:00 बजे, स्थान–भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र, राजपुरा, तहसील एवं पंचायत समिति–तालेड़ा, जिला–बून्दी

क्र.सं.	व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर
15	Prashant Kumar Rathore	Dabi, bundi	Prashant Rathore
16	नन्दकिशोर S/o मांगीलाल	डाबी बून्दी	नन्दकिशोर
17	सुनील बन्जारा	डाबी कंवरपुरा बून्दी	[illegible]
18	Dal Chand	Udaipur	[illegible]
19	Jitendra Kumar Rathore	Dabi	[illegible]
20	कैलाशचन्द्र राठौर	डाबी	कैलाशचन्द्र राठौर
21	शिवराज	डाबी	शिवराज
22	अशोक सिंह	सुतड़ा	अशोक सिंह
23	दिनेश कुमार सनाढ्य	कोटा	दिनेश
24	महावीर मेघवाल	डाबी	Mahaveer
25	मुकेश [illegible]	डाबी	मुकेश [illegible]
26	छोटूलाल	डाबी	
27		डाबी	छोटूलाल
28	सीताराम	डाबी	सीताराम
29	मजहर	[illegible]	Mazhar
30	सद्दाम	डाबी	Saddam
31	शारिक	डाबी	शारिक
32	कृष्णमुरारी	डाबी	Ghanshyam
33	लाला	डाबी	लाला
34			

Scanned with OKEN Scanner

संलग्नक - म

REGIONAL OFFICE

RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

Jasol Phaanta, Opp. JdVVNL Office , Balotra, District Balotra
Website www.environment.rajasthan.gov.in, Email ro.balotara@gmail.com
रा.प्र.नि.म./क्षे.का./बालोतरा/PH-81/4446-4449

दिनांक: 25.03.2026

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री समुन्दर सिंह राठोड पुत्र श्री राजू सिंह, प्लॉट नम्बर 234, क्षेत्रफल - 2.0 हैक्टयेर, उत्पादन क्षमता- 2,82,500 टी.पी.ए. (रोम) द्वारा प्रस्तावित मैसनरी स्टोन खनन क्लस्टर परियोजना, (कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता 70,66,169 टी.पी.ए (रोम), कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 65.0233 हैक्टेयर) ग्राम करणीपुरा चक चारणोट (नौसर), तहसील बायतु व जिला बाड़मेर के लिए खनन की पर्यावरण स्वीकृति बाबत प्रस्ताव राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किये है।
2. और चूंकि श्री समुन्दर सिंह राठोड पुत्र श्री राजू सिंह को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं तत्पश्चात संशोधित अधिसूचनाओं के अनुसार उक्त खनन क्लस्टर परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सनुवाई की आवश्यकता है।
3. और चूंकि उपरोक्त लीज धारक ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आवेदन किया है।
4. और चूंकि उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार जन सुनवाई हेतु मण्डल द्वारा इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
5. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (पर्यावरण प्रभाव आंकलन एवं सार रिपोर्ट) निम्नांकित कार्यालयों पर अवलोकनार्थ उपलब्ध है:- 1. जिला कलक्टर कार्यालय, बाड़मेर।, 2. जिला परिषद कार्यालय, बाड़मेर।, 3. जिला उद्योग केन्द्र, बाड़मेर।, 4. उपखण्ड कार्यालय, बायतु।, 5. तहसील कार्यालय, बायतु।, 6. राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम पंचायत कार्यालय नौसर, तहसील बायतु व जिला बाड़मेर।, 7. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बालोतरा।, 8. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।, 9. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4, पर्यावरण मार्ग, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर, राजस्थान।, 10. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ए-209 व 218, अरण्य भवन, महात्मा गाँधी रोड़, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर।
6. उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई दिनांक 27.04.2026 को प्रातः 11:00 बजे से राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम पंचायत कार्यालय नौसर, तहसील बायतु व जिला बाड़मेर में आयोजित की जायेगी।

अतः सर्वसाधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त दिनाकं को प्रस्तावित जनसुनवाई स्थल पर उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं इस सम्बन्ध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से जन सुनवाई दिवस तक राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय बालोतरा में दिये जा सकते है।

क्षेत्रीय अधिकारी

माउण्ट नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड

(पूर्व आदर्श को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड)
शाखा सांचौर : (02979) 284389 मो. 9799850334, 9414152572

पुनः नीलामी सूचना (नियम 8(6))

[प्रतिभूति वित्तीय आस्तियों के पूर्ननिर्माण व प्रतिभूतिहीत का प्रवर्तन अधिनियम 2002 (SARFAESI Act 2002) के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अधिन]

यतः सिक्युरिटाईजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एण्ड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इन्ट्रस्ट, 2002 (सिक्युरिटाइजेशन एक्ट) के अधीन माउण्ट नागरिक सहकारी बैंक लि. (पूर्व आदर्श को-ऑपरेटिव बैंक लि.), तीन बत्ती, सिरोही का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा सिक्युरिटी इन्ट्रस्ट (इन्फोर्समेंट) नियम, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुझ. अधोहस्ताक्षरी ने धारा 13(2) एवं 13(4) के अधीन हमारी सांचौर शाखा के ऋणी एवं रहनकर्ता श्री बिजलाराम पुत्र श्री मगारामजी, के स्वंय के नाम की बैंक में रहनशुदा सम्पति जो जैसा है जहां है जिस हालात में स्थित है के आधार पर नीलामी दिनांक 06.02.2025, गुरूवार को सुबह 11 बजे से सांय 4 बजे तक मौके पर रखी गई थी। परन्तु कोई बोलीदाता मौके पर उपस्थित न होने के कारण नीलामी स्थगित की गई थी, जिसकी पुनः नीलामी दिनांक 22.04.2026 बुधवार को सुबह 11 बजे से सांय 4 बजे तक शाखा सांचौर पर रखी गयी है। अतः ऋणी, जमानतियों व जनसाधारण को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि इच्छुक खरीददार मौके पर उपस्थित होकर बोली में भाग लेवे। नोट :— सम्पति की Realizable वेल्यू रू. 6,38,000/— है। अतः नीलामी मे हिस्सा लेने हेतु धरोहर राशि 10 प्रतिशत वेल्यू की जमा करानी होगी एवं नीलामी छुटने के बाद सफल बोलीदाता को बोली की 25 प्रतिशत राशि जमा करवानी होगी। अन्य जानकारी नीलामी स्थल पर बताई जायेगी।

अधिग्रहण सम्पति का विवरण

सम्पति के सभी अंश व अंग गठित होते है जो अचल सम्पति प्लॉट नं. 5, शिवनाथपुरा, सांचौर जिला सांचौर स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1000.05 वर्गफीट है। सम्पति का पट्टा नगरपालिका बोर्ड सांचौर ने दिनांक 15.01.2013, पट्टा नं. 04/2013 से जारी है, सम्पति की लीज डीड सब रजिस्ट्रार कार्यालय, सांचौर के समक्ष दिनांक 24.01.2013 को बुक नं.1, जिल्द नं. 341, पेज नं. 72, क्र.सं. 2013000643 व अतिरिक्त बुक नं.1, जिल्द नं. 708, पेज नं. 169 से 176 से पंजीकृत है। यह सम्पति श्री बिजलाराम पुत्र श्री मगाराम द्वारा रहन रखी गयी है। जिसकी चारो ओर की सीमाएं निम्न है :—

उत्तर : रमज़ान खां पुत्र श्री दाउद खां, दक्षिण : रास्ता, पूर्व : प्लॉट नं. 6 एवं पश्चिम : प्लॉट नं. 4

स्थान : सिरोही, राजस्थान
दिनांक : 19.03.2026

प्राधिकृत अधिकारी
माउण्ट नागरिक सहकारी बैंक लि.

POSSESSION NOTICE

S ASSET RECONSTRUCTION COMPANY LIMITED

CIN: U67100MH2007PLC174759
egd. Office: Edelweiss House, Off CST Road, Kalina, Mumbai 400098

NDIX IV [rule-8(1)] POSSESSION NOTICE (for Immovable property)

Secured Creditor mentioned herein, under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with (Rule 3) of the Security Interest nand notice as mentioned below calling upon the borrower(s) to repay the amount mentioned in the notice f the said notice.

has assigned the financial assets to **Edelweiss Asset Reconstruction Company Limited** also as its ust mentioned hereunder (hereinafter referred as "**EARC**"). Pursuant to the assignment agreements, under as stepped into the shoes of the Assignor and all the rights, title and interests of Assignor with respect to g security interests, guarantees, pledges have vested in EARC in respect of the financial assistance availed ll its rights as the secured creditor.

amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned being the **Reconstruction Company Limited** has taken possession of the property described herein below in exer- sub-section (4) of section 13 of Act read with rule 8 of the Security Interest Enforcement) Rules, 2002 on ty.

oan Account Number	Borrower Name & Co-Borrower(s) Name	Amount & Date of Demand Notice	Date of Possession	Possession Status
052/H/14/000211, 52/H/15/000016 & 052/H/14/000238	Mr. Babu Lal Sharma ("Borrower"), 2-Mr. Sunita Devi, 3-Mr. Kamlesh & 4-Mrs. Laxmi Devi, 5-Legal heirs of Late Shree Punit Sharma & 6-Mr. Sachin Sharma ("Co-Borrowers")	26-06-2025 & ₹89,75,519.05 ps.	20-03-2025	PHYSICAL Possession
Property -1:- All that piece and parcel of the property situated on Plot No. 10, Near Panch Batti Circle, ulera and bounded by North – Others Residence, South– Sambhar Road East – Rasta, West – Plot No. 9 rcel of the property situated on Plot No. B (S), Near Old Phulera Circle, Phulera, Jaipur, admeasuring 27.77 s , South – Plot No-A of Jagdish, East – Rasta Aam, West – Plot of Hanumat Balai				
607	Mr. Jagdish Prasad Solanki (Borrower) Alongwith Smt. Taruna Devi, Mr. ...	28.02.2018		

PUBLIC NOTICE OF LOSS OF SHARE CERTIFICATE

Notice is hereby given the details of Share certificate of **SHREE CEMENT LIMITED**, having its registered office at Bangur Nagar Distt.- Ajmer, Beawar, Rajasthan,305901, registered standing in the name of (Late) Sri. S BALASUNDARAM has been lost by him, under folio **SCL026164, 100 shares,** bearing face value of Rs.10/- each, vide certificate no(S). **67853 & 67854** with distinctive numbers **11802851 to 11802900 & 11802901 to11802950** and I, B.BAGYAM-(one of the legal heir) have applied for issue of duplicate share certificates and the Company intends to issue duplicate certificates.Any person who has a claim in respect of the said securities should lodge such claim with the Company at its Registered Office or its Registrar and Transfer Agents MUFG Intime India Private Ltd, 247 Park, C-101, 1st Floor, L. B. S. Marg, Vikhroli (W)Mumbai-400083 within 15 days from this date, after which no claim will be entertained and proceed to issue of duplicate share certificate(s).

Date : 25.03.2026
Place : Coimbatore

B. BAGYAM
(One of the Legal Heir)

Regional Office

Rajasthan State Pollution Control Board

Plot No. D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi
E-mail ID : rorpcb.bundi@gmail.com

No.: RPCB/RO Bundi/PUB-172/3373

Date : 24.03.2026

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है **मैं. वर्तिका स्टोन सप्लायर्स**, प्लॉट नं. 102, खनन क्षेत्र 3.0646 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 3,63,422 TPA (ROM), कलस्टर क्षेत्रफल 10.9764 हेक्टेयर, कुल अनुमानित कलस्टर उत्पादन क्षमता 13,89,203 TPA, **निकट ग्राम ढसालिया, तहसील - तालेड़ा, जिला - बून्दी (राज.)** सेंड स्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट से सम्बन्धित प्रस्तावित परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति / राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

2. चूंकि **मैं. वर्तिका स्टोन सप्लायर्स,** द्वारा उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति के सम्बन्ध में पर्यावरणीय जन सुनवाई हेतु आवेदन मय दस्तावेजों के राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3. चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एसओ 1533 (ई) दिनांक 14.09.2006 एवं समय-समय पर संशोधनों के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।

4. उक्त परियोजना से सम्बन्धित ड्राफ्ट पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख (हिन्दी व अंग्रेजी में) निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :-

(i) कार्यालय जिला कलक्टर, बूंदी।
(ii) कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बूंदी।
(iii) कार्यालय महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, बूंदी।
(iv) कार्यालय पंचायत समिति तालेड़ा, तहसील - तालेड़ा, जिला - बूंदी।
(v) कार्यालय ग्राम पंचायत डाबी, तहसील - तालेडा, जिला - बूंदी।
(vi) क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर।
(vii) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4, सांस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
(viii) निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240, द्वितीय तल, उ.प. (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
(ix) क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी, जिला बून्दी।
(x) कार्यालय खनि. अभियन्ता, खण्ड-II, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, बूंदी।

अत: सर्वसाधारण को जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बूंदी के पत्र क्रमांक : प.12-12( ) राजस्व/2026/1868-75 दिनांक 18.03.2026 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित जन सुनवाई हेतु **दिनांक 30.04.2026 (गुरुवार)** को **भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम पंचायत राजपुरा, तहसील - तालेड़ा, जिला - बून्दी में समय प्रातः 11:00 बजे** उपस्थित होकर अपने लिखित एवं मौखिक आपत्ति / आक्षेप / सुक्षाव प्रस्तुत कर सकते है। साथ ही इस सम्बन्ध में आपत्ति / आक्षेप/ सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से जन सुनवाई दिवस तक **क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी, जिला बून्दी** में भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

भवदीय
(योग्यता सिंह) क्षेत्रीय अधिकारी, रा.रा.प्र.नि.मं. बून्दी

Regional Office

Rajasthan State Pollution Control Board

Plot No. D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi
E-mail ID : rorpcb.bundi@gmail.com

No.: RPCB/RO Bundi/PUB-173/3386

Date : 24.03.2026

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है **मैं. आदिनाथ कंस्ट्रक्शन**, प्लॉट नं. 104, खनन क्षेत्र 1.7146 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 2,27,080 TPA (ROM), कलस्टर क्षेत्रफल 10.9764 हेक्टेयर, कुल अनुमानित कलस्टर उत्पादन क्षमता 13,89,203 TPA, **निकट ग्राम ढसालिया, तहसील - तालेड़ा, जिला - बून्दी (राज.)** सेंड स्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट से सम्बन्धित प्रस्तावित्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति / राज्य स्तर पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

2. चूंकि **मैं. आदिनाथ कंस्ट्रक्शन,** द्वारा उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति के सम्बन्ध में पर्यावरणीय जन सुनवाई हेतु आवेदन मय दस्तावेजों के राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3. चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एसओ 1533 (ई) दिनांक 14.09.2006 एवं समय-समय पर संशोधनों के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।

4. उक्त परियोजना से सम्बन्धित ड्राफ्ट पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख (हिन्दी व अंग्रेजी में) निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :-

(i) कार्यालय जिला कलक्टर, बूंदी।
(ii) कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बूंदी।
(iii) कार्यालय महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, बूंदी।
(iv) कार्यालय पंचायत समिति तालेड़ा, तहसील - तालेड़ा, जिला - बूंदी।
(v) कार्यालय ग्राम पंचायत डाबी, तहसील - तालेडा, जिला - बूंदी।
(vi) क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर।
(vii) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4, सांस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
(viii) निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240, द्वितीय तल, उ.प. (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
(ix) क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी, जिला बून्दी।
(x) कार्यालय खनि. अभियन्ता, खण्ड-II, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, बूंदी।

अत: सर्वसाधारण को जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बूंदी के पत्र क्रमांक : प.12-12( ) राजस्व/2026/1850-58 दिनांक 18.03.2026 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित जन सुनवाई हेतु **दिनांक 30.04.2026 (गुरुवार)** को **भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम पंचायत राजपुरा, तहसील - तालेड़ा, जिला - बून्दी में समय दोपहर 01:00 बजे** ...